# 5000 अवसर उपलब्ध

## आयकर विभाग एनआईआईटी की भागीदारी में टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर बनने के लिए

# ग्रेजुएट्स से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है

trps
टैक्स रिटर्न प्रीपेयर्स

**आयकर विभाग पूरे देश में कर विवरणी निर्माता (टीआरपी) 5000 स्नातकों के नए बैच (बैच 2) को प्रशिक्षण देने का इच्छुक है।** ये टीआरपी व्यक्तियों और हिन्दु अविभाजित परिवार के कर दाताओं के लिए आयकर विवरणी तैयार करने हेतु अधिकृत हैं। कर विवरणी निर्माता योजना (टीआरपीएस) (अधिसूचना संख्या एसओ2039 (ई) दिनांक 28 नवम्बर 2006 जिसे दिनांक 22 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 84/2010 द्वारा **www.trpscheme.com** पर संशोधित किया गया) वर्ष 2006–07 के दौरान आयकर विभाग द्वारा आरंभ की गई थी। जो स्नातक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं उन्हें एक प्रमाणपत्र और एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी जो उन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्वयं नियोजित कर विवरणी निर्माता (टीआरपी) के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत बनाता है। प्रशिक्षण की लागत आयकर विभाग द्वारा उठाई जाएगी। **प्रशिक्षण या प्रमाणन में सफल प्रत्याशियों के लिए सरकारी नियुक्ति का कोई अधिकार शामिल नहीं है।**

पूरे भारत से इच्छुक व्यक्तियों की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूरे देश में टीआरपी की व्यापक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर केन्द्रों को अभिघात किया गया है और प्रत्येक केन्द्र से उस केन्द्र में उपलब्ध टीआरपी के स्थानों की संख्या से अधिकतम 10 गुना प्रत्याशियों को चुना जाएगा। आप नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध टीआरपी के स्थानों की संख्या देख सकते हैं। चुने गए प्रत्याशियों को नामांकन परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सफल प्रत्याशियों को टीआरपी बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एक गर्वोन्नत व्यावसायिक बनने के इस अनोखे अवसर का लाभ उठाएं, अपने गृह नगर से कार्य करें और अपने आस पास लोगों को उनकी आयकर विवरणी जमा करने में सहायता दें।

टिप्पणी : यदि किसी केन्द्र पर आवेदनों की पर्याप्त संख्या प्राप्त नहीं होती है तो आयकर विभाग को वह केन्द्र बंद करने या किसी अन्य केन्द्र के साथ मिलाने का अधिकार है।

## क. पात्रता मानदण्ड

1. **योग्यता:** प्रत्याशी को निम्नलिखित में से किसी भी विषय में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।
   - कानून (एलएलबी)
   - अर्थशास्त्र (बी.ए/बी. एससी.)
   - सांख्यिकी (बी.ए/बी. एससी.)
   - गणित (बी.ए/बी. एससी.)
   - वाणिज्य (बी. कॉम)
   - व्यापार प्रबंधन/प्रशासन (बीबीएम/बीबीए)
2. **आयु:** प्रत्याशियों की आयु **1 अप्रैल 2012** को इक्कीस (21) और पैंतीस (35) वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रत्याशियों का जन्म 1 अप्रैल 1977 के बाद या 31 मार्च 1991 को या उससे पहले हुआ हो।

## ख. टीआरपी की भूमिका

प्रशिक्षण और प्रमाणन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद टीआरपी इन कार्यों के लिए अधिकृत है :

- व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार के करदाता की आयकर विवरणी तैयार करना और जमा करना
- तिमाही टीडीएस विवरण तैयार करना और जमा करना
- ई–विवरणी अंतर माध्यमिक के रूप में पंजीकरण

## ग. पारिश्रमिक

टीआरपी को नए करदाताओं के प्रथम वर्ष की विवरणी तैयार करने और जमा करने के लिए भुगतान किए गए कर की तीन प्रतिशत राशि मिलेगी। टीआरपी के पारिश्रमिक की विस्तृत शर्तों और निबंधनों के लिए कृपया अधिसूचना संख्या एसओ 2039 (ई) की खण्ड संख्या 9 देखें जो टीआरपीएस की वेबसाइट **(www.trpscheme.com)** पर उपलब्ध है।

## घ. आवेदन कैसे करें

1. पात्र प्रत्याशी टीआरपीएस वेबसाइट **www.trpscheme.com** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत अनुदेश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. कृपया ऑनलाइन प्रपत्र पर सावधानीपूर्वक अनुदेश पढ़ें और सुनिश्चित करें कि प्रपत्र को भरने की सभी आवश्यकता सूचना उपलब्ध है।
3. प्रत्याशी निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया द्वारा अपना भुगतान कर सकते हैं :

   **(i) भुगतान गेटवे/ऑनलाइन :**

   क. **"पे ऑनलाइन बाय क्रेडिट/डेबिट कार्ड"** बटन क्लिक करें और आवेदन शुल्क के रूप में 100 रु. का भुगतान करें। लेन देन के अन्य कोई प्रभार प्रत्याशी द्वारा दिए जाएंगे।

   ख. प्रत्याशियों को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आने वाले अनुदेशों के अनुसार अपने डेबिट / क्रेडिट कार्ड के विवरण देने होंगे। सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक लेन देने आईडी तैयार होगी जो कम्प्यूटर के पर्दे पर दिखाई देगी।

   ग. प्रत्याशियों को इसे नोट करना है या लेन देन आईडी का प्रिंट आउट लेना है। प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा करने के लिए उपलब्ध यह जानकारी रखने की आवश्यकता होगी।

   चेतावनी : यदि आप प्रिंट आउट नहीं देख सकते हैं तो अपने बैंक से संपर्क रखें और लेन देन आईडी लें।

   **(ii) बैंक चालान/ऑफ लाइन :**

   क. **"पे ऑफलाइन बाय बैंक चालान"** पर क्लिक करें और वेबसाइट से बैंक चालान का प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

   ख. बैंक चालान में स्पष्ट और हस्तलिपि में बड़े अक्षरों में विवरण भरें। भारतीय स्टैट बैंक की निकटतम शाखा में ये विधिवत भरे गए बैंक चालान तथा 100 रु. आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इसके अलावा बैंक द्वारा प्रत्याशियों से बैंक प्रभार के रूप में लिए जाएंगे।

   ग. बैंक द्वारा प्राप्त बैंक चालान की काउंटर फॉइल (आवेदक की प्रति और एनआईआईटी की प्रति) प्राप्त करें तथा (क) बैंक का नाम और कोड संख्या, (ख) लेन देन आईडी / रोजनामचा संख्या (ग) जमा करने की तिथि और शाखा अधिकारी द्वारा भरी गई राशि।

   घ. प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा करने के लिए यह सूचना उपलब्ध रखनी चाहिए।
4. प्रत्याशियों के पास अपनी फोटो की स्कैन (डिजिटल) इमेज और हस्ताक्षर की इमेज होनी चाहिए जो आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए। डिजिटल कैमरा / मोबाइल फोन से प्राप्त तस्वीर स्वीकार्य तभी है यदि ये स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य हैं।
5. प्रत्याशियों के पास आवेदन पत्र भरना आरंभ करने से पहले तीन वर्षों हेतु स्नातक डिग्री की अंक तालिकाएं भी होनी चाहिए।
6. प्रत्याशियों के पास वैध व्यक्तिगत ई–मेल आईडी होना चाहिए। इसे समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्रिय रखा जाना चाहिए। यदि प्रत्याशी के पास वैध व्यक्तिगत ई–मेल आईडी नहीं है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई–मेल आईडी बनाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे किसी अन्य व्यक्ति की आईडी भेजने / लेने की अनुमति नहीं होगी।
7. अब आप **"एप्लाई नाउ"** नामक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और प्रपत्र भर सकते हैं।
8. प्रत्याशी को तीन अंकों वाले केन्द्र के वरीयता कोड का उल्लेख बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। विज्ञापन के छ. भाग में दी गई तालिका में कोडों के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों की जानकारी दी गई है।
9. प्रत्याशियों को वह पता बताना चाहिए जहां वे टीआरपी योजना से संबंधित सभी संचार प्राप्त करना चाहते हैं।
10. ऑनलाइन आवेदन पत्र **20 अगस्त 2012** तक ही उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि **20 अगस्त 2012** है।

## ङ. चयन की प्रक्रिया

1. प्राप्त आवेदनों को स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक केन्द्र में उपलब्ध स्थानों से अधिकतम 10 गुना तक प्रत्याशियों को केन्द्रवार चुना जाएगा।
2. परीक्षा के केन्द्र वरीयता और योग्यता सूची के आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रवेश कार्ड पर इनका उल्लेख होगा।
3. चुने गए प्रत्याशियों के नाम **5 सितम्बर 2012** या उसके पहले टीआरपीएस की वेबसाइट **www.trpscheme.com** पर लगाए जाएंगे।
4. चुने गए प्रत्याशियों को टीआरपीएस की वेबसाइट **www.trpscheme.com** से प्रवेश कार्ड डाउनलोड करना होगा और उन्हें **23 सितम्बर, 2012 को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे** तक **नामांकन परीक्षा** में आना होगा।
5. नामांकन परीक्षा दो घण्टे की अवधि तक होगी तथा इसमें गणित में सामान्य कौशल, रीजनिंग, अंग्रेजी व्याख्या और सामान्य जागरूकता पर 160 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।
6. जो प्रत्याशी लिखित परीक्षा में सफल पाए जाते हैं उन्हें स्वयं अध्ययन के 15 दिन और कक्षा आधारित प्रशिक्षण के 11 दिन सहित एक कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। अध्ययन सामग्री के साथ प्रशिक्षण आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रत्याशियों की एक आकलन परीक्षा होगी। परीक्षा पास करने पर उन्हें एक प्रमाणपत्र और एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी जो उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वयं नियुक्त टीआरपी के तौर पर कार्य करने का अधिकार होगा। उन्हें वेब आधारित ज्ञान पोर्टल और हेल्प डेस्क के माध्यम से कर विवरणी तैयार करने और जमा करने का अवसर भी मिलेगा।

## च. सामान्य निर्देश

1. आवेदन करने से पहले प्रत्याशी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता मानदण्ड और अन्य मानकों को पूरा करता है जो विज्ञापन में दिए गए हैं तथा आवेदन में सभी विवरण शुद्धतापूर्वक भरता है। चयन की प्रक्रिया प्रत्याशी द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर की जाएगी। किसी भी प्रत्याशी की उम्मीदवारी किसी भी चरण पर टीआरपी बनने से या टीआरपी बनने के बाद रोकी जा सकती है, यदि किसी प्रत्याशी के बारे में पता लगता है कि उसने झूठी जानकारी दी है या यह विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता मानदण्ड के अनुरूप नहीं है।
2. चुने गए प्रत्याशियों को वेबसाइट **www.trpscheme.com** पर जाना होगा और अपने प्रवेश कार्ड डाउनलोड करने होंगे। उन्हें डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र पर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी।
3. चुने गए प्रत्याशी संबंधित नामांकन केन्द्रों में अपने प्रवेश पत्र तथा पहचान के प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और फोटो आईडी कार्ड) लेकर आना होगा और उन्हें परीक्षा से कम से कम आधे घण्टे पहले पहुंचना होगा। यदि एक प्रत्याशी के पास इनमें से उल्लेखित पहचान के कोई प्रमाण नहीं है तो डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होगी।
4. डाक के पते में बदलाव, परीक्षा केन्द्र बदलाव के अनुरोधों के बारे में जैसा पहले आवेदन पत्र में बताया गया है, इन पर विचार नहीं किया जाएगा। जबकि आईटीडी को उस क्षेत्र/केन्द्र में प्रत्युत्तर पर निर्भर करते हुए बंद या किसी अन्य केन्द्र से मिलाने का अधिकार होगा।
5. आवेदन एक बार बन जाने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और एक बार भुगतान किया गया शुल्क (किसी भी परिस्थिति में) वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे अन्य परीक्षा या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित किया जाएगा।
6. इस योजना से केवल मुफ्त प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री प्रत्याशियों को दी जाती है। **चुने गए प्रत्याशियों को अपने रहने और खाने पीने तथा परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।**
7. प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे नामांकन और चयन प्रक्रिया के बारे में आगे सूचना/घोषणा के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

## छ. प्रशिक्षण केन्द्र कोड

| राज्य/संघ राज्य | प्रशिक्षण केन्द्र | केन्द्र कोड | *प्रशिक्षण पाने वाले टीआरपी की संख्या |
|---|---|---|---|
| आंध्रा प्रदेश | हैदराबाद–मेहदीपटनम | 001 | 50 |
| | हैदराबाद–दिलसुखनगर | 002 | 50 |
| | सिंकदराबाद | 003 | 50 |
| | विजयवाडा | 004 | 100 |
| | विशाखापट्टनम | 005 | 50 |
| | वारांगल | 006 | 50 |
| असम | गुवाहाटी | 007 | 50 |
| | जोर्हाट | 008 | 25 |
| | तिनसुखिया | 009 | 50 |
| बिहार | पटना | 010 | 50 |
| | दरभंगा | 011 | 50 |
| | भागलपुर | 012 | 25 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 013 | 50 |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर | 014 | 50 |
| | भिलाई | 015 | 25 |
| | बिलासपुर | 016 | 50 |
| दिल्ली | दिल्ली–उत्तरी | 017 | 100 |
| | दिल्ली–दक्षिणी | 018 | 50 |
| | दिल्ली–पश्चिमी | 019 | 100 |
| | दिल्ली–पूर्वी | 020 | 50 |
| गोवा | पणजी | 021 | 50 |
| गुजरात | अहमदाबाद–नवरंगपुरा | 022 | 75 |
| | अहमदाबाद–वस्त्रपुर | 023 | 75 |
| | राजकोट | 024 | 50 |
| | सूरत | 025 | 50 |
| | वडोदरा | 026 | 50 |
| | जामनगर | 027 | 25 |
| | भावनगर | 028 | 25 |
| हरियाणा | गुड़गांव | 029 | 50 |
| | फरीदाबाद | 030 | 50 |
| | पंचकूला | 031 | 25 |
| | रोहतक | 032 | 50 |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | 033 | 50 |
| जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 034 | 50 |
| | श्रीनगर | 035 | 25 |
| झारखंड | रांची | 036 | 50 |
| | धनबाद | 037 | 75 |
| | हज़ारीबाग | 038 | 25 |
| | जमशेदपुर | 039 | 25 |
| कर्नाटका | बंगलूरू – बानाशंकरी | 040 | 50 |
| | बंगलूरू – कोरमंगला | 041 | 50 |
| | बंगलूरू – यशवंतपुर | 042 | 50 |
| | मैसूर | 043 | 25 |
| | गुलबर्गा | 044 | 25 |
| | हुबली | 045 | 50 |
| केरल | कोच्वी | 046 | 50 |
| | कोझीकोड़े | 047 | 25 |
| | तिरूवनंतपुरम | 048 | 50 |
| | कोल्लम | 049 | 25 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल | 050 | 50 |
| | जबलपुर | 051 | 25 |
| | इंदौर | 052 | 50 |
| | ग्वालियर | 053 | 25 |
| | रतलाम | 054 | 50 |
| | सागर | 055 | 25 |

| राज्य/संघ राज्य | प्रशिक्षण केन्द्र | केन्द्र कोड | *प्रशिक्षण पाने वाले टीआरपी की संख्या |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | मुंबई – चर्चगेट | 056 | 50 |
| | मुंबई – अंधेरी | 057 | 50 |
| | मुंबई – बोरीवली | 058 | 50 |
| | मुंबई – घाटकोपर | 059 | 50 |
| | मुंबई – माटुंगा | 060 | 50 |
| | मुंबई – थाणे | 061 | 50 |
| | नवी मुंबई | 062 | 50 |
| | औरंगाबाद | 063 | 50 |
| | पुणे | 064 | 100 |
| | नासिक | 065 | 50 |
| | नागपुर | 066 | 50 |
| | कोल्हापुर | 067 | 25 |
| | सोलापुर | 068 | 25 |
| मेघालय | शिलांग | 069 | 25 |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर | 070 | 50 |
| | राउरकेला | 071 | 25 |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | 072 | 25 |
| पंजाब | लुधियाना | 073 | 50 |
| | अमृतसर | 074 | 50 |
| | जालंधर | 075 | 25 |
| | पटियाला | 076 | 50 |
| राजस्थान | जोधपुर | 077 | 50 |
| | उदयपुर | 078 | 25 |
| | अजमेर | 079 | 25 |
| | बीकानेर | 080 | 25 |
| | जयपुर | 081 | 100 |
| | कोटा | 082 | 50 |
| तमिलनाडू | चेन्नई–तिरूवणमियुर | 083 | 50 |
| | चेन्नई – मोगाप्पैर | 084 | 50 |
| | चेन्नई – पल्लावरम | 085 | 50 |
| | चेन्नई – अण्णा नगर | 086 | 50 |
| | मदुरई | 087 | 50 |
| | कोयंबटूर | 088 | 50 |
| | तिरूचिरापल्ली | 089 | 50 |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 090 | 100 |
| | बरेली | 091 | 25 |
| | वाराणसी | 092 | 50 |
| | कानपुर | 093 | 100 |
| | मेरठ | 094 | 50 |
| | गोरखपुर | 095 | 25 |
| | अलीगढ़ | 096 | 25 |
| | गाजियाबाद | 097 | 50 |
| | सहारनपुर | 098 | 25 |
| | नोएडा | 099 | 50 |
| उत्तराखंड | देहरादून | 100 | 50 |
| | हल्द्वानी | 101 | 25 |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता – सोवा बाज़ार | 102 | 50 |
| | कोलकाता – गारीहाट | 103 | 50 |
| | कोलकाता – साल्ट लेक | 104 | 50 |
| | सिलीगुडी | 105 | 25 |
| | दुर्गापुर | 106 | 50 |
| | हावड़ा | 107 | 50 |

**आयकर विभाग**
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

**एनआईआईटी तथा टैक्समैन**
के साथ साझेदारी में

अधिक जानकारी के लिए देखें **www.trpscheme.com** या संपर्क करें **1800-10-23738**

davp 15401/13/0025/1213